तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम तारीख हुक्म की तामील में जारी हुए
19/6/24	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर होने से पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27/06/2024 को पत्रावली पेश हो।	
27/6/24	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये हुये है। प्रार्थीगण विवादित भूमियों के सहखातेदार जमाबन्दी से प्रमाणित है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि को क्रय करने से सहखातेदार बने है, जो बिना बटवारा व अपना हिस्सा व ख०न० तय करवाये बिना ही प्रार्थीगण के हिस्से/कब्जे में दखलंदाजी कर रहे है। जिनको पाबन्द करने की प्रार्थना की गई है। बाद मनन बहस प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे बनता है। सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में बनता है। प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावना बनी हुई है। अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि खाता० न० 61 व 66 वाके ग्राम बहादुरपुरा प०म० चेता में निहित प्रार्थीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में दखलंदाजी नही करे व अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास न तो स्वयं करें ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। पत्रावली फैसल शुमार की	

रीख कम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी [illegible]ण्डोली	